संशोधित दिनांक
11-11-2021

# डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या

## राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020: दिशा-निर्देश (अस्थायी)

(दिनांक 11-11-2021 को संशोधित)

## National Education Policy-2020: Guideline (Tentative)

(Revised on dated 11-11-2021)

उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की अनुशंसा के अनुरूप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2021-22 से लागू किये जाने के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 1065/सत्तर-3-2021-16(26)/2011, दिनांक 20 अप्रैल, 2021 तथा इस सम्बन्ध में कुलपति जी की अध्यक्षता में दिनांक 24 अप्रैल, 2021 को संपन्न एन0ई0पी0-टास्क फोर्स की उपसमिति की बैठक की जारी की गयी कार्यवृत्त के आधार पर शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश सम्बन्धी तथा अन्य सम्बंधित विषयगत बिन्दुओं के सन्दर्भ में प्रथम/मानक अस्थाई दिशा-निर्देश (गाइडलाइन) जारी की जा रही है। सामयिक आवश्यकता के दृष्टिगत भविष्य में इस गाइडलाइन का संशोधित प्रारूप भी जारी किया जा सकता है।

1. उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्राविधानों के आलोक में उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त पत्र संख्या 1065/सत्तर-3-2021-16(26)/2011, दिनांकः 20 अप्रैल, 2021 में प्रदान किये गए निर्देशों को शैक्षिक सत्र 2021-22 से विश्वविद्यालय के समस्त स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेशिका स्तर (प्रथम सेमेस्टर) से क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में दिनांक 24 अप्रैल, 2021 को संपन्न एन0ई0पी0-टास्क फोर्स की उपसमिति की बैठक में निर्णय लेते हुए सम्बन्धित कार्यवृत्त सार्वजानिक की जा चुकी है।

2. (क) NEP-2020 से सम्बन्धित उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा निर्देशित यह नए नियम सत्र 2021-22 में स्नातक स्तर पर प्रवेशित छात्रों से ही लागू होंगें। स्नातक/परास्नातक के समस्त पाठ्यक्रमों में सत्र 2020-21 तक प्रवेशित छात्रों पर उनके उपाधि प्राप्त करने तक यह नए नियम लागू नहीं होंगे।

   (ख) शासनादेश संख्या 1567/सत्तर-3-2021-16(26)/2011टी.सी. दिनांक 13 जुलाई 2021 के क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्राविधानों से सम्बद्ध नवीन पाठ्यक्रमों को सत्र 2021-22 के लिए मात्र तीन विषय विकल्प आधारित पाठ्यक्रमों यथा – बी0ए0, बी0एस-सी0 एवं बी0कॉम0 में ही लागू किया गया है; स्नातक स्तर के अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम यथा – बी0बी0ए0, बी0सी0ए0, बी0एस-सी0-कृषि, बी0एस-सी0-गृह विज्ञान, एल0एल0बी0 इत्यादि में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आधारित पाठ्यक्रमों को सत्र 2022-23 से अथवा शासन द्वारा इस सम्बन्ध में सम्यक-निर्देश प्राप्त होने पर ही लागू किया जायेगा। #

3. प्रवेश की व्यवस्था –

   - सर्वप्रथम विद्यार्थी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के अपने संकाय का चुनाव स्नातक स्तर पर अपने प्रथम प्रवेश पर ही करेगा।
   - विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीटों/नियमों के आलोक में विद्यार्थी को सम्बन्धित संकाय में प्रवेश देगा।

- विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों का चुनाव करेगा, जिसमें से दो मुख्य विषय उसके चुने हुए संकाय के होंगे तथा तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से ले सकता है (सन्दर्भ – संलग्नक-1)।
- इसके उपरान्त विद्यार्थी को प्रथम चार सेमेस्टर हेतु प्रतिवर्ष के क्रम में (अर्थात प्रथम वर्ष में प्रथम सेमेस्टर अथवा द्वितीय सेमेस्टर तथा द्वितीय वर्ष में तृतीय सेमेस्टर अथवा चतुर्थ सेमेस्टर में) एक माइनर/इलेक्टिव विषय किसी दूसरे विभाग/संकाय से लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर/इलेक्टिव विषय आवंटित किया जायेगा (सन्दर्भ – संलग्नक-1, विस्तृत विवरण पृष्ठ-5 पर बिन्दु-09)।
- प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम चार-सेमेस्टर के प्रत्येक सेमेस्टर में एक रोजगार-परक (Vocational) प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम लेना होगा (सन्दर्भ – संलग्नक-1, विस्तृत विवरण पृष्ठ-10 पर बिन्दु-13)।
- प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम छह-सेमेस्टर के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह-पाठ्यगामी (Co-curricular) विषय लेना होगा (सन्दर्भ – संलग्नक-1, विस्तृत विवरण पृष्ठ-09 पर बिन्दु-12)।

4. **किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की प्रक्रिया –**

- विद्यार्थी को एक वर्ष (दो सेमेस्टर) पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास तथा दो वर्ष (चार सेमेस्टर) पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी। **विद्यार्थी को निर्गत सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा पर उसके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त रोजगार-परक (Vocational) प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।**
- विद्यार्थी को तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) पूर्ण करने पर ही डिग्री प्राप्त होगी।
- विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर पर पुनः प्रवेश ले सकेगा।
- Prerequisite के आधार पर विद्यार्थी को द्वितीय/तृतीय वर्ष में विषय परिवर्तन की सशर्त सुविधा उपलब्ध होगी। इस सुविधा का लाभ लेते हुए छात्र चयनित तृतीय मेजर विषय मात्र को ही परिवर्तित कर सकेगा।

5. **डिग्री का संकाय एवं पूर्ण करने की अवधि/ पाठ्यक्रम की उत्तीर्णता एवं आगामी सेमेस्टर में प्रवेश –**

- विद्यार्थी के लिए 'Certificate in Faculty' का Course Module अर्थात प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर को सफलता पूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 04 वर्ष निर्धारित है। उक्त अवधि में विद्यार्थी को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के लिए पृथक-पृथक न्यूनतम 23-23 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, उसके पश्चात ही विद्यार्थी अगले Course Module अर्थात 'Diploma in Faculty' में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।
- विद्यार्थी के लिए 'Diploma in Faculty' का Course Module अर्थात तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर को सफलता पूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष (Certificate in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थी को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर के लिए पृथक-पृथक न्यूनतम 23-23 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, उसके पश्चात ही विद्यार्थी अगले अगले Course Module अर्थात 'Bachelor in Faculty' में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।
- विद्यार्थी के लिए 'Bachelor in Faculty' का Course Module अर्थात पांचवें एवं छठवें सेमेस्टर को सफलता पूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष (Diploma in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थी को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (पांचवें एवं छठवें सेमेस्टर के लिए पृथक-पृथक न्यूनतम 23-23 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, उसके पश्चात ही विद्यार्थी अगले Course Module अर्थात 'Bachelor (Research) in Faculty' में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।

- किसी Course Module के लिए निर्धारित क्रेडिट प्राप्त करने में असफल छात्र के लिए पृथक रूप से 'पुनः-परीक्षा' अथवा 'बैक पेपर परीक्षा' आयोजित नहीं की जाएगी। सेमेस्टर प्रणाली की पारम्परिक और प्रचलित व्यवस्था के क्रम में उसे सम अथवा विषम सेमेस्टर की नियमानुसार आयोजित परीक्षा के साथ निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करते हुए 'पुनः-परीक्षा' देना होगा।
- 'पुनः-परीक्षा' का आयोजन 03 मुख्य विषयों और इलेक्टिव/माइनर विषयों के सन्दर्भ में ही किया जायेगा। वोकेशनल पाठ्यक्रम और सह-पाठ्यक्रम के लिए 'पुनः-परीक्षा' का प्राविधान नहीं होगा।
- Course Module के लिए निर्धारित अवधि के मध्य छात्र आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने के लिए एक से अधिक बार 'पुनः-परीक्षा' दे सकता है।
- विद्यार्थी जिस संकाय से तीन वर्ष में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी में उसको तदनुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी।
- यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर ऑफ़ लिबरल एजूकेशन की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के Prerequisite की आवश्यकता नहीं होगी। सामान्यतः इस श्रेणी में कला संकाय के ऐसे विषय आएंगे जिनमे प्रयोगात्मक कार्य अनिवार्य नहीं है।

6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के सन्दर्भ में विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली अन्य सुविधायें –
   - विद्यार्थी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से 20 प्रतिशत तक यू0जी0सी0/शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमन्य सीमा तक क्रेडिट ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे तथा उसके अनुपात में कोर्स/विषय छोड़ सकेंगे। विश्वविद्यालयीय व्यवस्था के दृष्टिगत ऑनलाइन विषय चयनित करने की यह सुविधा माइनर/इलेक्टिव विषयों पर ही लागू होगी। यू0जी0सी0 के नियमों के अनुसार ऑनलाइन कोर्स के क्रेडिट सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को जोड़ने होंगे।
   - विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार निकट के अन्य शिक्षण संस्थान से किसी विशेष विषय के अध्ययन की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य की जा सकती है। इस सुविधा का लाभ विद्यार्थियों को प्रदान करने के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय पारस्परिक रूप से अनुबन्ध हस्ताक्षरित करते हुए उसकी एक प्रति अनुमोदनार्थ विश्वविद्यालय को जमा करेंगें।
   - अर्जित किये गये क्रेडिट का उपयोग विद्यार्थी सिर्फ एक उपाधि के लिये ही कर सकेगा। एक बार किसी क्रेडिट का प्रयोग करने के पश्चात् वह दूसरी उपाधि के लिये उसका प्रयोग नहीं कर सकेगा।

7. परीक्षा व्यवस्था –
   - सभी विषयों के प्रश्नपत्र 100 अंक के होंगे, जिनको क्रेडिट एवं फार्मूला के अनुसार परसेन्टाईल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा।
   - सभी विषयों की परीक्षा 25 प्रतिशत सतत आन्तरिक मूल्यांकन एवं 75 प्रतिशत वाह्य मूल्यांकन के आधार पर की संपन्न की जायेगी।
   - विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम में संस्तुत भिन्न-भिन्न व्यवस्थाओं को समरूपता की दृष्टि से संशोधित करते हुए सतत आन्तरिक मूल्यांकन से सम्बंधित 25 प्रतिशत अंकों का विभाजन इस प्रकार होगा –
     क. छात्र की सापेक्षिक उपस्थिति के लिए 05 प्रतिशत अंक निर्धारित होंगे।

ख. छात्र को प्रदान किये जाने वाले असाइनमेंट एवं असाइनमेंट-प्रेजेंटेशन के सापेक्ष 05 प्रतिशत अंक निर्धारित होंगे।

ग. सम्बन्धित विषय में छात्र के मिड-सेमेस्टर क्लास-टेस्ट के सापेक्ष 15 प्रतिशत अंक निर्धारित होंगे। क्लास-टेस्ट की उत्तर-पुस्तिका महाविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने के 02 माह आगे तक सुरक्षित रखी जाएगी।

घ. सतत आन्तरिक मूल्यांकन की यह व्यवस्था कृषि एवं विधि संकाय के विषयों पर लागू नहीं होगी। तदसम्बन्ध में संबन्धित नियामक निकाय द्वारा संस्तुत व्यवस्था मान्य होगी।

- सभी विषयों की लिखित परीक्षा होगी एवं अनिवार्य को-करीकुलर विषय की परीक्षा बहु विकल्पीय आधार पर होगी।

8. उपरोक्त शासनादेश के निर्देशानुक्रम में उक्त संरचना मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य, भारतीय एवं विदेशी भाषाएँ, प्रबंधन, कृषि तथा विधि संकायों पर लागू होंगी। तद्क्रम में निम्न बिन्दुओं पर भी प्रमुखता से ध्यान देना होगा -

- स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए 46 संचित क्रेडिट के सापेक्ष तीन प्रमुख विषय, एक माइनर विषय, दो सह-पाठ्यक्रम एवं दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर Certificate in Faculty प्रदान किया जा सकता है (सन्दर्भ – संलग्नक-1)।

- द्वितीय वर्ष तक 92 क्रेडिट संचित के सापेक्ष द्वितीय वर्ष में तीन प्रमुख विषय, एक माइनर विषय, दो सह-पाठ्यक्रम तथा दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर Diploma in Faculty प्रदान किया जायेगा (सन्दर्भ – संलग्नक-1)।

- तृतीय वर्ष तक 138 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में दो प्रमुख विषय, दो सह-पाठ्यक्रम तथा दो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Bachelor in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी (सन्दर्भ – संलग्नक-1)।

- चौथे वर्ष तक 194 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में एक प्रमुख विषय, एक माइनर विषय तथा दो प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने पर Bachelor (Research) in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी (सन्दर्भ – संलग्नक-1)।

- पांचवे वर्ष तक 246 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में एक प्रमुख विषय एवं दो प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी, जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त Master in Faculty उपाधि प्रदान की जायेगी (सन्दर्भ – संलग्नक-1)।

- छठे वर्ष तक 270 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में एक प्रमुख विषय, एक अनुसंधान पद्धति एवं एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी, जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त Post Graduate Diploma in Research प्रदान किया जा सकता है (सन्दर्भ – संलग्नक-1)।

- प्राथमिकता के आधार पर सातवें और आठवें वर्ष में (अन्यथा की स्थिति में उसके आगे के वर्षों में) अनुसंधान सम्बन्धी Research Thesis जमा करना होगा जिसके मूल्याङ्कन के उपरान्त सफल घोषित किये जाने की संस्तुति के आधार पर पी-एच0डी0 की उपाधि प्रदान की जायेगी (सन्दर्भ – संलग्नक-1)।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्राविधानों के आलोक में उच्च-शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रस्तावित समान पाठ्यक्रम यथावत अथवा 30% की अनुमन्य सीमा तक संशोधन के साथ बोर्ड ऑफ़ स्टडीज के माध्यम से अंगीकार किया जाना है।

- स्नातक एवं स्नातकोत्तर मे प्रत्येक सेमेस्टर के मेजर/माइनर विषयों के प्रश्नपत्रों के शीर्षक वही होंगे जो उच्च-शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समान पाठ्यक्रम व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रस्तावित हैं।
- यूनिफार्म क्रेडिट और ग्रेड़िग सिस्टम का निर्धारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध UGC GUIDELINES ON ADOPTION OF CHOICE BASED CREDIT SYSTEM द्वारा प्रचलित व्यवस्था के मानकानुरूप किया जायेगा।
- प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश व्यवस्था के सम्बन्ध में गाइडलाइन विश्वविद्यालय द्वारा ही जारी की जाएगी; महाविद्यालयीय अपने स्तर से इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं लेंगें।
- स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम दो वर्षो में कौशल-विकास से सम्बन्धित पाठ्यक्रम का अध्ययन अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर किया गया है, जिसके आलोक में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को समन्वय स्थापित करना होगा।

9. **माइनर/इलेक्टिव विषय का चयन –**

- माइनर विषय का स्नातक प्रथम सेमेस्टर के लिए चयन पात्रता के आधार पर किया जाना है। चूँकि यह पाठ्यक्रम दूसरे विभाग/संकाय से चयनित किया जाना है, अतः यह पाठ्यक्रम उस विभाग का नियमित पाठ्यक्रम ही होगा। उदाहरण स्वरुप - विज्ञान का छात्र विज्ञान संकाय से 03 मेजर कोर्स चयनित करने के बाद 01 माइनर कोर्स 'इंडियन कांस्टिट्यूशन', जो कला संकाय के राजनीति शास्त्र पाठ्यक्रम/विभाग का विषय है अथवा 'मॉडर्न हिस्ट्री', जो कला संकाय के इतिहास पाठ्यक्रम/विभाग का विषय है, चयनित कर सकता है। वही छात्र यदि 03 मेजर कोर्स विज्ञान संकाय से चयनित करने के साथ 01 माइनर विषय विज्ञान संकाय के दूसरे विभाग से भी चयनित कर सकता है।
- स्नातक स्तर पर विषयों के चयन में pre-requisite का विशेष रूप से ध्यान रखना है। छात्र मेजर या माइनर के रूप में वही विषय चयनित कर सकते हैं, जिसके लिए वह pre-requisite को qualify कर रहे हों।
- छात्र किसी पाठ्यक्रम के उन्ही प्रश्नपत्रों को माइनर के रूप में चयनित करेगा जिसका सापेक्षिक क्रेडिट 4/5/6 हो।
- छात्र को प्रतिवर्ष के क्रम में माइनर विषय चयनित करने की स्वतन्त्रता होगी। उदाहरण के लिए – यदि छात्र स्नातक प्रथम सेमेस्टर में किसी विषय को माइनर के रूप में चयनित करता है तो उसकी परीक्षा उसे प्रथम सेमेस्टर में ही देनी होगी; वह यदि प्रथम के स्थान पर द्वितीय सेमेस्टर में माइनर विषय चयनित करता है तो उसे उसकी परीक्षा द्वितीय सेमेस्टर में देनी होगी। समान व्यवस्था द्वितीय वर्ष के लिए भी जारी रहेगी।
- छात्र यदि स्नातक प्रथम सेमेस्टर में चयनित माइनर विषय की परीक्षा छोड़ देता है अथवा उसमें फेल हो जाने के बाद किसी दूसरे विषय को माइनर के रूप में लेना चाहता है तो वह द्वितीय सेमेस्टर में ऐसा कर सकता है।
- प्रवेश प्रक्रिया के समय छात्र द्वारा इंटरमीडिएट के विषय वर्ग (यथा- कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कृषि वर्ग, व्यावसायिक वर्ग) के साथ उसके द्वारा इन्टर में चयनित विषय (यथा- विज्ञान वर्ग के लिए विषय समूह 1- गणित, भौतिकी, रसायन; 2-रसायन, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान; 3-गणित, भौतिकी, कंप्यूटर विज्ञान इत्यादि) को ध्यान में रखते हुए मेजर/माइनर/इलेक्टिव विषय के चयन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- शासन द्वारा सन्दर्भित प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम में यह अंकित है की सम्बंधित प्रश्नपत्र को कौन से छात्र माइनर के रूप में ले सकते है; तथापि सुलभ सन्दर्भ हेतु विश्वविद्यालयीय व्यवस्था को देखते हुए मात्र सत्र 2021-22 के प्रथम

सेमेस्टर के लिए उपलब्ध माइनर/इलेक्टिव विषयों की सूची निम्नवत प्रस्तुत की जा रही है। आगामी सेमेस्टर/सत्रों के लिए पृथक से सूची जारी की जाएगी।

स्नातक प्रथम सेमेस्टर के लिए उपलब्ध माइनर/इलेक्टिव विषयों की सूची (मात्र सैद्धांतिक)

| SN | Subject | Course Code | Minor/Elective Paper | Availability | Credit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ancient History, Culture, Archaeology | A150101T | Early Civilization of India & World | Open to all | 6 |
| 2 | History | A050101T | Ancient and Early Medieval India (Till 1206 A.D.) | Open to all | 6 |
| 3 | Commerce | C010101T | Business Organization | Open to all | 6 |
| 4 | Commerce | C010102T | Business Statistics | Open to all | 6 |
| 5 | Commerce | C010103T | Business Communication | Open to all | 6 |
| 6 | Commerce | C010104T | Introduction to Computer Application | Open to all | 6 |
| 7 | English | A040101T | English Prose and Writing Skills | Open to all | 6 |
| 8 | Sanskrit | A020101T | संस्कृत पद्य साहित्य एवं व्याकरण | Open to all | 6 |
| 9 | Urdu | A030101T | Urdu Zaban-O-Adab Ki Tareekh Aur Qawaid-O-Insha | Open to all | 6 |
| 10 | Hindi | A010101T | हिन्दी काव्य | Open to all | 6 |
| 11 | Law | G010101T | Introduction to the Indian Legal System | Open to all | 6 |
| 12 | Philosophy | A100101T | Indian Philosophy | Open to all | 6 |
| 13 | Economics | A080101T | Principle of Micro Economics | Open to all | 6 |
| 14 | Computer Science | B070101T | Problem Solving using Computer | Open to all | 4 |
| 15 | Defence and Strategic Studies | A120101T | Conceptual Aspects of war | Open to all | 4 |
| 16 | Fine Arts | A140101T | History of Art-1 | Open to all | 4 |
| 17 | Geography | A110101T | Physical Geography | Open to all | 4 |
| 18 | Home Science | A130101T | Fundamentals of Nutrition and Human Development | Open to all | 4 |
| 19 | Physical Education | E020101T | Elementals of Physical Education | Open to all | 4 |
| 20 | Political Science | A060101T | Indian National Movement & Constitution of India | Open to all | 4 |
| 21 | Psychology | A090101T | Basic Psychological Processes | Open to all | 4 |
| 22 | Social Work | A160101T | Fundamentals of Social Work | Open to all | 4 |
| 23 | Sociology A070101T | ~~A070201T~~ | ~~Society in India: Structure, Organization & Change~~ Introduction to Basic Concepts of Sociology | Open to all | 4 |
| 24 | Education | E010101T | Conceptual Framework of Education | Open to all | 4 |
| 25 | *Information Technology#* | *B180101T* | *Problem Solving using Computer* | *Open to all* | *4* |
| 26 | *Environmental Sciences#* | *B150101T* | *Fundamentals of Environmental Sciences* | *Open to all* | *4* |
| 27 | Botany | B040101T | Microbiology & Plant Pathology | Biology in 12th | 4 |
| 28 | Chemistry | B020101T | Fundamentals of Chemistry | Chem. in 12th | 4 |
| 29 | Geology | B090101T | Physical and Structural Geology | Science in 12th | 4 |
| 30 | Mathematics | B030101T | Differential Calculus & Integral Calculus | Maths in 12th | 4 |
| 31 | Physics | B010101T | Mathematical Physics & Newtonian Mechanics | Physics or Maths in 12th | 4 |
| 32 | Statistics | B060101T | Descriptive Statistics (Univariate) and Theory of Probability | Maths in 12th | 4 |
| 33 | Zoology | B050101T | Cytology, Genetics and Infectious Diseases | Biology in 12th | 4 |
| 34 | *Microbiology#* | *B080101T* | *General Microbiology* | *Biology in 12th* | *4* |
| 35 | *Biochemistry#* | *B110101T* | *Fundamental of Biochemistry* | *Biology & Chem. in 12th* | *4* |
| 36 | *Electronics#* | *B140101T* | *Basic Circuit Theory and Network Analysis* | *Physics in 12th* | *4* |

स्नातक प्रथम सेमेस्टर के लिए उपलब्ध माइनर/इलेक्टिव विषयों की सूची (सैद्धांतिक सह प्रायोगिक)

| SN | Subject | Course Code | Minor/Elective Paper | Pre-requisite / Availability | Credit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Performing Arts: Dance-Kathak# | A330101P | Nritya Prayog -I | Kathak Dance at 12th or Diploma in Kathak | 4 |
| | | A330102T | History of Dance and Kathak Dance - I | | 2 |
| 2 | Music Vocal# | A320101T | Introduction to Indian Music | Open to all | 2 |
| | | A320102P | Critical study of Ragas and Taals | | 4 |
| 3 | Music Instrumental Tabla# | A310101T | Basic Fundamental of Tabla | Open to all | 2 |
| | | A310102P | Tabla Practical and Stage performance I | | 4 |
| 4 | Music Instrumental Sitar# | A300101T | Theoretical and Analytical study of Ragas, Talas and general theory of Indian Classical Music | Open to all | 2 |
| | | A300102P | Practical Performance and Proficiency Skill of the prescribed Raagas and Taals | | 4 |

- उपरोक्त सूची में प्रायोगिक विषयों के सन्दर्भ में छात्र सम्बंधित विषय के मात्र सैद्धांतिक अंश का अध्ययन कर 04 क्रेडिट प्राप्त कर सकता है और शेष 02 अंक मान्यता प्राप्त ऑनलाइन प्लेटफार्म के पाठ्यक्रम से अर्जित कर सकता है। अन्यथा की स्थिति में छात्र उपरोक्त सूची से सैद्धांतिक के साथ प्रायोगिक अंश का भी अध्ययन कर 06 क्रेडिट प्राप्त कर सकता है।

10. स्नातक प्रथम-सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विषय-वर्ग/संकाय के लिए **Pre-requisite** (पात्रता) –

- विज्ञान वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय, कला संकाय तथा कृषि संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (Eligible) होगा; किन्तु यदि छात्र ने हाई-स्कूल/इंटरमीडिएट स्तर पर विज्ञान वर्ग के अंतर्गत गणित विषय लिया है तो वह वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत भी प्रवेश प्राप्त करने योग्य होगा।
- कला वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (Eligible) होगा; किन्तु यदि छात्र ने इंटरमीडिएट स्तर पर कला वर्ग के अंतर्गत अर्थशास्त्र अथवा गणित विषय लिया है अथवा हाई-स्कूल स्तर पर गणित विषय का अध्ययन किया है तो वह वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत भी प्रवेश प्राप्त करने योग्य होगा।
- वाणिज्य वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय तथा कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (Eligible) होगा।
- कृषि वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कृषि संकाय तथा कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (Eligible) होगा; किन्तु यदि छात्र ने हाई-स्कूल स्तर पर गणित विषय का अध्ययन किया है तो वह वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत भी प्रवेश प्राप्त करने योग्य होगा।
- व्यावसायिक वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (Eligible) होगा; किन्तु यदि छात्र ने हाई-स्कूल स्तर पर गणित विषय का अध्ययन किया है तो वह वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत भी प्रवेश प्राप्त करने योग्य होगा।

11. कला संकाय/ विज्ञान संकाय के पाठ्यक्रमों हेतु विषय-संयोजन –

- कला संकाय के अन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विषय चयन के लिए Subject Combination (विषय-संयोजन) के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय पत्रांक लो0अ0वि0/शैक्ष0/2018/11078 दिनांक 03-07-2018 के द्वारा

प्रदान की गयी पूर्ववर्ती व्यवस्था को तृतीय मेजर विषय, इलेक्टिव/माइनर विषय, अनिवार्य सहगामी विषय और रोजगार-परक विषय के चयन के लिए लागू किये जाने वाले नए नियमों की सीमा तक संशोधित करते हुए लागू किया जाना है।

- तद्क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित **कला संकाय** के विषयों को तीन समूहों (समूह-अ, समूह-ब, समूह-स) में विभाजित करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुरूप विश्वविद्यालयीय व्यवस्था के दृष्टिगत इनके चयन सम्बन्धी निर्देश निम्नवत प्रस्तुत किये जा रहे हैं। प्रारम्भिक रूप से यह नियम सत्र 2021-2022 हेतु प्रभावी हैं। आगामी सत्रों हेतु इन नियमों को आवश्यकतानुरूप परिवर्तित किया जा सकता है। नियम परिवर्तन की दशा में पृथक से अधिसूचना जारी की जाएगी।

| समूह-अ<br>(भाषा/साहित्य) | समूह-ब<br>(प्रायोगिक विषय) | समूह-स<br>(सामाजिक विज्ञान) |
|---|---|---|
| 1. हिन्दी | 1. भूगोल | 1. शिक्षा शास्त्र |
| 2. प्रयोजन मूलक हिन्दी | 2. मनोविज्ञान | 2. अर्थशास्त्र |
| 3. अंग्रेजी | 3. संगीत | 3. राजनीति शास्त्र |
| 4. उर्दू | 4. चित्रकला | 4. लोक प्रशासन |
| 5. संस्कृत | 5. समाजकार्य | 5. समाजशास्त्र |
| 6. सिन्धी | 6. शारीरिक शिक्षा | 6. प्राचीन इतिहास |
| | 7. कम्प्यूटर अप्लीकेशन | 7. मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास |
| | 8. गृहविज्ञान | 8. दर्शनशास्त्र |
| | 9. विदेशी व्यापार | 9. गणित |
| | 10. आर्कियोलॉजी एण्ड म्यूजियोलॉजी | |
| | 11. आफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सेकेटेरियल प्रेक्टिस | |
| | 12. रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन (सैन्य विज्ञान) | |

**नोट :**

a. प्रत्येक विद्यार्थी **'कला संकाय'** के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में न्यूनतम दो और अधिकतम तीन विषयों का चयन कर सकता है। सामान्य रूप से प्रथम सेमेस्टर में चयनित विषय का अध्ययन विद्यार्थी को द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर में भी करना होगा।

b. विद्यार्थी समूह 'अ', 'ब' और 'स' में किसी एक समूह से अधिकतम दो विषयों का ही चयन कर सकता है। किसी एक समूह से तीन विषयों का चयन नहीं किया जाएगा।

c. विद्यार्थी दो से अधिक भाषा/साहित्य विषयों का चयन नहीं करेगा।

d. विद्यार्थी दो से अधिक प्रायोगिक विषयों का चयन एक साथ नहीं करेगा।

e. 'प्राचीन इतिहास' विषय तथा 'मध्य कालीन एवं आधुनिक इतिहास' विषय एक साथ चयनित नहीं किये जायेंगे।

f. 'समाज शास्त्र' विषय तथा 'समाज कार्य' विषय एक साथ चयनित नहीं किये जायेंगे।

g. 'हिन्दी' विषय तथा 'प्रयोजन मूलक हिन्दी' विषय एक साथ चयनित नहीं किये जायेंगे।

h. 'राजनीति शास्त्र' विषय तथा 'लोक प्रशासन' विषय एक साथ चयनित नहीं किये जायेंगे।

i. विदेशी व्यापार/ आर्कियोलॉजी एण्ड म्यूजियोलॉजी/ ऑफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सेकेटेरियल प्रेक्टिस/ कम्प्यूटर अप्लीकेशन में से किसी एक ही विषय का चयन किया जा सकता है।

- सामान प्रक्रिया विज्ञान संकाय के विषयों के सन्दर्भ में भी अनुपालित करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा संचालित **विज्ञान संकाय** के विषयों को तीन समूहों (Group-A, Group-B, Group-C) में विभाजित करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति

2020 की अनुशंसा के अनुरूप विश्वविद्यालयीय व्यवस्था के दृष्टिगत इनके चयन सम्बन्धी निर्देश निम्नवत प्रस्तुत हैं। प्रारम्भिक रूप से यह नियम सत्र 2021-2022 हेतु प्रभावी हैं। आगामी सत्रों हेतु इन नियमों को आवश्यकतानुरूप परिवर्तित किया जा सकता है। नियम परिवर्तन की दशा में पृथक से अधिसूचना जारी की जाएगी।

| Group-A | Group-B | Group-C |
|---|---|---|
| 1. Physics<br>2. Mathematics<br>3. Electronics<br>4. Computer Application | 1. Chemistry<br>2. Geology<br>3. Geography<br>4. Environmental Science<br>5. Defence & Strategic Studies | 1. Botany<br>2. Zoology<br>3. Bio-Chemistry<br>4. Bio-Technology<br>5. Microbiology<br>6. Seed Technology |

नोट :

a. प्रत्येक विद्यार्थी **'विज्ञान संकाय'** के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में न्यूनतम 02 और अधिकतम 03 विषयों का चयन कर सकता है। सामान्य रूप से प्रथम सेमेस्टर में चयनित विषय का अध्ययन विद्यार्थी को द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर में भी करना होगा।

b. Pre-requisite को Qualify करने की दशा में विषय-संयोजन के लिए विद्यार्थी Group A या Group B या Group C से पृथक-पृथक न्यूनतम 02 अथवा अधिकतम 03 विषयों का चयन कर सकता है।

c. Pre-requisite को Qualify करने की दशा में विद्यार्थी विषय-संयोजन के लिए Group A और Group B से सम्मिलित रूप से न्यूनतम 02 और अधिकतम 03 विषयों का चयन कर सकता है।

d. Pre-requisite को Qualify करने की दशा में विद्यार्थी विषय-संयोजन के लिए Group B और Group C से सम्मिलित रूप से न्यूनतम 02 और अधिकतम 03 विषयों का चयन कर सकता है।

e. छात्र द्वारा Group A और Group C के विषय सम्मिलित रूप से विषय-संयोजन के लिए चयनित नहीं किये जायेंगे।

f. Group A के विषयों के चयन के लिए विद्यार्थी Pre-requisite को तभी Qualify करेगा जब उसने इंटरमीडिएट में Physics और Mathematics विषयों का अध्ययन किया हो।

g. Group B के विषयों में से Chemistry विषय के चयन के लिए विद्यार्थी Pre-requisite को तभी Qualify करेगा जब उसने इंटरमीडिएट में Chemistry विषय का अध्ययन किया हो।

h. Group C के विषयों के चयन के लिए विद्यार्थी Pre-requisite को तभी Qualify करेगा जब उसने इंटरमीडिएट में Biology विषय का अध्ययन किया हो।

i. यदि छात्र Physics-Mathematics-Geology विषय संयोजन अथवा Physics-Mathematics-Geography विषय संयोजन चयनित करता है तो उसके लिए इंटरमीडिएट में Physics और Mathematics विषय का अध्ययन आवश्यक है।

j. यदि छात्र Geology-Geography-Chemistry विषय संयोजन चयनित करता है तो उसके लिए इंटरमीडिएट में Chemistry और Mathematics विषय का अध्ययन किया जाना आवश्यक है।

k. यदि छात्र Botany-Geology-Chemistry विषय संयोजन चयनित करता है तो उसके लिए इंटरमीडिएट में Chemistry और Biology विषय का अध्ययन किया जाना आवश्यक है।

l. छात्र द्वारा Geography विषय तथा Environmental Sciences विषय एक साथ चयनित नहीं किये जायेंगे।

12. अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम (**Co-curricular**)# -

स्नातक स्तर पर अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रमों (Co-curricular) के अध्ययन-अध्यापन का क्रम सेमेस्टर के अनुसार निम्नवत होगा -

- *प्रथम सेमेस्टरः खाद्य, पोषण एवं स्वच्छता (Food, Nutrition and Hygiene) #*
- *द्वितीय सेमेस्टरः प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (First Aid and Health) #*
- *तृतीय सेमेस्टरः मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environmental Studies) #*
- *चतुर्थ सेमेस्टरः शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education and Yoga) #*
- *पंचम सेमेस्टरः विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनेस (Analytic Ability and Digital Awareness) #*
- *षष्ठम सेमेस्टरः संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास (Communication Skill and Personality Development) #*

- स्नातक स्तर के अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रमों (Co-curricular) के अध्ययन-अध्यापन के लिए शैक्षिक संसाधनों की व्यवस्था महाविद्यालय द्वारा की जाएगी।

13. कौशल-विकास/रोजगार-परक (**Vocational**) पाठ्यक्रम -

- कौशल-विकास/रोजगार-परक (Vocational) पाठ्यक्रमों के सन्दर्भ में महाविद्यालयों के स्तर पर उच्च-शिक्षा विभाग के पत्र संख्या 602/सत्तर-3-2021-08(35)/2020 दिनांक 22 फरवरी 2021 *एवं पत्र संख्या 1969/सत्तर-3-2021 दिनांक 18 अगस्त 2021 #* के अनुक्रम में कार्यवाही अपेक्षित है।

- कौशल-विकास/रोजगार-परक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में महाविद्यालय उपरोक्त संदर्भित पत्र में निर्दिष्ट व्यवस्था के अतिरिक्त जिले के पॉलिटेक्निक, आई0टी0आई0 अथवा अन्य समकक्ष राजकीय प्रशिक्षण संस्थान, *उद्योग, इंजीनियरिंग कॉलेज, शिल्पकार, पंजीकृत उद्यमों, विशेषज्ञ व्यक्तियों आदि #* से भी अनुबन्ध पत्र (MoU) हस्ताक्षरित कर सकते है। हस्ताक्षरित अनुबन्ध की एक प्रति अनुमोदनार्थ विश्वविद्यालय को जमा करनी होगी।

- शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र में निर्दिष्ट व्यवस्था के अतिरिक्त महाविद्यालयों से यह भी अपेक्षा है कि अपने परिसर में न्यूनतम एक विशेषज्ञता युक्त कौशल-विकास (Skill Development) का क्लस्टर (Cluster) विकसित करें और छात्रों को इसका व्यापक लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से अपने निकट के महाविद्यालय से कौशल-विकास के सम्बन्ध में MoU (अनुबन्ध पत्र) हस्ताक्षरित करें, जिसमें प्रशिक्षण-कार्यक्रम के संचालन की क्रियाविधि (Mode of Operation) स्पष्टता के साथ अंकित हो।

- चूँकि कौशल-विकास (Skill Development)/ वोकेशनल प्रशिक्षण-कार्यक्रम के संचालन हेतु महाविद्यालय को शासन स्तर से किसी प्रकार का अनुदान प्रदान नहीं किया जा रहा है अतः महाविद्यालय इस सम्बन्ध में आवश्यक संसाधन के आंकलन के उपरान्त कौशल-विकास से सम्बंधित प्रशिक्षण का शुल्क-निर्धारण No-profit-No-Loss के आधार पर अपने स्तर से करें।

- यद्यपि महाविद्यालय को स्थानीय आवश्यकता और कॉर्पोरेट-सेक्टर की मांग के अनुरूप कौशल-विकास प्रशिक्षण से सम्बन्धित पाठ्यक्रम का निर्धारण अपने स्तर से करने की स्वतंत्रता है, तथापि सुविधा हेतु वोकेशनल कार्यक्रमों की सन्दर्भ सूची निम्नवत दी जा रही है –

Fashion Designing, Tailoring and Embroidery, Photography and Videography, Financial Management, Information Technology, Yoga, Computer Application, Tourism & Hospitality, Medical Laboratory Technology, Ophthalmic Technician, Multipurpose Health Worker (Female), Automobile, Food Processing, Carpentry, Electrician, Plumbing, Web designing, Bakery and Confectionery, Stenography (Hindi & English), Typewriting (Hindi and English), Accountancy and Auditing, Horticulture, Foreign Language, Event Management, Pottery, Banking and Finance, Beautician, Clinical Psychology, Cookery, House Keeping, Journalism & Mass Communication, Disaster Management, Physical Fitness and Gym trainer, Handicraft, Jewelry Design, Marketing & Salesmanship, Legal Services Assistance, Physiotherapy Technician, Interior Design and Decoration, Crop Production and Management, Fisheries, Dairying, Sericulture, Refrigeration & Air Conditioning, Hospital and Health Care Management, Clinical Biochemistry, Clinical Microbiology.

- कौशल-विकास/रोजगार-परक (Vocational) पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालय साप्ताहिक आधार पर आधे या एक दिन का प्रशिक्षण-कार्यक्रम संचालित करेंगे।

- कौशल-विकास/रोजगार-परक (Vocational) पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन/प्रशिक्षण विषय-वस्तु (Study/ Training Course Content/ Module) का निर्धारण महाविद्यालय अपने स्तर से करते हुए उसे अध्ययन समिति के अनुमोदनार्थ विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

- *शासनादेश संख्या 1969/सत्तर-3-2021 दिनांक 18 अगस्त 2021 में प्रदान की गयी व्यवस्था के अनुक्रम में कौशल-विकास/रोजगार-परक (Vocational) पाठ्यक्रम दो प्रकार के हो सकते है #-*

  i. *एक सेमेस्टर में पूर्ण होने वाले individual nature के पाठ्यक्रम #*

  ii. *एक ही पाठ्यक्रम जिसकी विशेषज्ञता प्रत्येक सेमेस्टर के साथ-साथ बढ़ती जाएगी अर्थात progressive nature के पाठ्यक्रम #*

- *शासनादेश संख्या 2058/सत्तर-3-2021-08(33)/2020टी.सी. दिनांक 26 अगस्त 2021 में प्रदान की गयी व्यवस्था के अनुक्रम में कौशल-विकास/रोजगार-परक (Vocational) पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन 100 अंक के सापेक्ष, बिन्दु-07 में अंकित व्यवस्था से भिन्न निम्नवत व्यवस्था के क्रम में किया जाएगा # -*

  i. *छात्र के प्रशिक्षण (ट्रेनिंग आधारित) कार्य का मूल्यांकन 60 अंकों में किया जायेगा #*
  ii. *छात्र के सैद्धांतिक (अध्ययन आधारित) कार्य का मूल्यांकन 40 अंकों में किया जायेगा #*

14. 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 जिला समन्वयक समिति':

- 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों को लागू करने की प्रक्रिया के सरलीकरण, प्रत्येक महाविद्यालय तक सूचनाओं के समुचित आदान-प्रदान, तद्संबंध में समस्याओं के त्वरित निदान और सम्पूर्ण प्रक्रिया पर निगरानी के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर एन0ई0पी0-टास्क फोर्स और सम्बद्धता परिक्षेत्र के प्रत्येक जिले में "एन0ई0पी0 2020 जिला समन्वय समिति" का गठन किया गया है।

- विश्वविद्यालय स्तर पर गठित एन0ई0पी0-टास्क फोर्स में सम्बद्धता परिक्षेत्र के 07 जिलों का प्रतिनिधित्व कर रहे प्राचार्य-गण सम्बन्धित जिले के सन्दर्भ में "एन0ई0पी0 2020 जिला समन्वय समिति" के अध्यक्ष नियुक्त किये गए है।

- जिला-समिति के सदस्य आनुपातिक रूप से क्षेत्र के महाविद्यालय को चयनित करते हुए उनसे NEP-2020 को लागू करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में समन्वय स्थापित करेंगे।

- जिला समिति के अध्यक्ष नियमित अन्तराल पर समिति की बैठक करते हुए प्रक्रिया की समीक्षा करेंगें और आवश्यकतानुसार टास्क-फोर्स से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।

15. *छात्र मूल्यांकन एवं मूल्यांकन विधि # :*

- *'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में राज्य-सरकार द्वारा शासनादेश संख्या 2058/सत्तर-3-2021-08(33)/2020टी.सी. दिनांक 26 अगस्त 2021 के माध्यम से छात्र-मूल्यांकन एवं मूल्यांकन-विधियों के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया गया गया है। तद्क्रम में छात्र का स्नातक पाठ्यक्रम के प्रत्येक सेमेस्टर में सतत, व्यापक एवं समग्र मूल्यांकन निम्नलिखित मानकों पर किया जाना होगा # –*

  i. *शैक्षणिक मूल्यांकन (Academic Assessment) #*
  ii. *कौशल मूल्यांकन (Skill Assessment) #*
  iii. *शारीरिक मूल्यांकन (Physical Assessment) #*
  iv. *व्यक्तित्व मूल्यांकन (Personality Assessment) #*
  v. *बहिमुर्खी मूल्यांकन (Extracurricular Assessment) #*
  vi. *स्व-मूल्यांकन (Self-Assessment) #*

- *छात्र का शैक्षणिक मूल्यांकन (Academic Assessment) इस गाइड-लाइन के बिन्दु संख्या 01 से 12 के अन्तर्गत प्रदत्त व्यवस्था के अनुक्रम में किया जायेगा। तद्क्रम में छात्र को प्रत्येक प्रश्नपत्र के सापेक्ष प्राप्त अकादमिक-क्रेडिट को 'अकादमिक बैंक ऑफ़ क्रेडिट में सुरक्षित किया जाएगा। #*

- *छात्र का कौशल मूल्यांकन (Skill Assessment) इस गाइड-लाइन के बिन्दु संख्या 13 के अन्तर्गत वर्णित व्यवस्था के अनुक्रम में किया जायेगा। तद्क्रम में छात्र को कौशल-विकास/रोजगार-परक (Vocational) पाठ्यक्रम के सापेक्ष प्राप्त अकादमिक-क्रेडिट को 'अकादमिक बैंक ऑफ़ क्रेडिट में सुरक्षित किया जाएगा। #*

- *छात्र के शारीरिक मूल्यांकन (Physical Assessment), व्यक्तित्व मूल्यांकन (Personality Assessment), बहिमुर्खी मूल्यांकन (Extracurricular Assessment) और स्व-मूल्यांकन (Self-Assessment) के लिए महाविद्यालय सम्बन्धित शासनादेश की भावना के अनुरूप स्वयं के स्तर पर आन्तरिक मापदण्ड (Internal Parameter) निर्धारित करते हुए प्रत्येक श्रेणी में 100 अंकों के सापेक्ष आन्तरिक-मूल्यांकन का कार्य सम्पादित करेंगे और अंकों को विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेंगे। उल्लिखित श्रेणियों में आन्तरिक-मूल्यांकन के अंक-पर्ण (Award List) पर छात्र को प्राप्त अंकों के साथ-साथ श्रेणी विशेष में उसके द्वारा किये गए उल्लेखनीय प्रदर्शन (यदि कोई है तो) का भी उल्लेख करना होगा। सम्बन्धित कार्य के लिए अंक-पर्ण का प्रारूप निम्नवत होगा # –*

| *अनुक्रमांक* | *छात्र का नाम* | *प्राप्तांक* | *उल्लेखनीय टिपण्णी* |
|---|---|---|---|
| | | | |

- *छात्र को शारीरिक मूल्यांकन (Physical Assessment), व्यक्तित्व मूल्यांकन (Personality Assessment), बहिमुर्खी मूल्यांकन (Extracurricular Assessment) और स्व-मूल्यांकन (Self-Assessment) के सापेक्ष प्राप्त अंकों को ग्रेड-पॉइंट में परिवर्तित करते हुए उसके उल्लेखनीय-प्रदर्शन के साथ अर्जित ग्रेड को उसके 'समग्रतापूर्ण अंक-पत्र' (Holistic Report Card) पर अंकित किया जायेगा। #*

16. परीक्षा शुल्क:

- 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों को लागू करने की प्रक्रिया में वर्तमान में वार्षिक आधार पर संचालित समस्त पाठ्यक्रम सत्र 2021-22 से प्रारम्भ करते हुए अगले 05 वर्षों में सेमेस्टर प्रणाली में परिवर्तित हो जायेंगे। इस कारण सत्र 2021-22 में स्नातक प्रथम वर्ष से प्रारम्भ कर क्रमागत वर्षों में सम्बंधित पाठ्यक्रमों की वर्ष में दो बार परीक्षाएं संपन्न करानी होंगी, अतः विश्वविद्यालय के अन्य संचालित सेमेस्टर पाठ्यक्रमों में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा से पूर्व परीक्षा-शुल्क जमा कराये जाने की व्यवस्था तद्सम्बंध में भी जारी रहेगी।

17. संलग्नक/विशेष :

- डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के सन्दर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से सम्बंधित समस्त विवरण वेबलिंक http://www.rmlau.ac.in/new/NEP.aspx पर प्राप्त किया जा सकता है। #
- उच्च-शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्राविधानों के दृष्टिगत स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध पाठ्यक्रमों के सन्दर्भ में प्रस्तावित संरचना को समग्रता से निर्दिष्ट करने वाली 'तालिका' सुलभ सन्दर्भ हेतु पृष्ठ-12 पर संलग्न है। उक्त तालिका मूल रूप में 'उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद' से भी डाउनलोड की जा सकती है।

**Proposed Year-wise Structure of UG/PG Programs (04-12-2020)**

| | | Subject I<br>Major<br>4/5/6 Credits | Subject II<br>Major<br>4/5/6 Credits | Subject III<br>Major<br>4/5/6 Credits | Subject IV<br>Minor/ Elective<br>4/5/6 Credits | Vocational<br>Minor<br>3 Credits | Co-Curricular<br>Minor<br>2 Credits | Industrial Training/ Survey/ Project<br>Major<br>5/6/8 Credits | Credits | | (Min.-Max. Total Credits) After completion (Minimum Credits) [Max Duration in years] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Sem. | Own Faculty | Own Faculty | Any Faculty | Other Department Faculty | Vocational Faculty | Co-Curricular Course | Inter/Intra Faculty related to main Subject | Total | Min.-Max. of the semester/ year | |
| 1 | I | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | 1 (4/5/6) | 1 | 1 | | 18+(0/4/5/6)+3+2 | 23-29 | (50-52)<br>[46]<br>[4]<br>Certificate in Faculty |
| | II | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | | 1 | 1 | | 18+(0/4/5/6)+3+2 | 23-29 (50-52) | |
| 2 | III | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | 1 (4/5/6) | 1 | 1 | | 18+(0/4/5/6)+3+2 | 23-29 | (100-104)<br>[92]<br>[7]<br>Diploma in Faculty |
| | IV | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | | 1 | 1 | | 18+(0/4/5/6)+3+2 | 23-29 (50-52) | |
| 3 | V | Th-3(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2) | Th-3(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2) | | | | 1 | 1 (3) | 20+3+2 | 25 | (150-154)<br>[138]<br>[10]<br>Bachelor in Faculty |
| | VI | Th-3(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2) | Th-3(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2) | | | | 1 | 1 (3) | 20+3+2 | 25 (50) | |
| 4 | VII | Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4) | | | 1 (4/5/6) | | | 1 (6) | 20+(0/4/5/6)+6 | 26-32 | (206-212)<br>[194]<br>[12]<br>Bachelor (Research) in Faculty |
| | VIII | Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4) | | | | | | 1 (6) | 20+(0/4/5/6)+6 | 26-32 (56-58) | |
| 5 | IX | Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4) | | | | | | 1 (6) | 20+6 | 26 | (258-264)<br>[246]<br>[16]<br>Master in Faculty |
| | X | Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4) | | | | | | 1 (6) | 20+6 | 26 (52) | |
| 6 | XI | 2 (6) | 1 Research (4) Methodology | | | | | 1 (8) | 16+8 | | (270)<br>[4]<br>PGDR in Subject |
| 6/7/8 | XII-XVI | | | | | | | Ph.D. Research | | | Ph.D. in Subject |

**Notes:** (a) 1, 2 & 5 (in blue ink) are the number of courses/papers in that semester of that subject. (b) Credits are given in (in red ink). (c) A student willing to take admission to the first year of Higher Education program after 12th class will have to choose a Faculty with two main (Major) subjects for first year. Eligibility to such choice will have pre-requisites. Apart from two major subject (s)he has to choose in each semester one more (Major ) subject of any faculty, one minor/ elective course of other faculty, one vocational course of his choice and one compulsory co-curricular course.

**Examples, Elaborations & Notes**

| Year | Semester | Minor/ Elective Courses Examples | Co-Curricular Courses | Vocational courses | Practical hands on Industrial Training/ Survey/ Project | Subject to choose | Pre-requisite in 12th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sem. I | Language Course. | Food and Nutrition | A student chooses one vocation such as plumbing, electrician etc. Same vocation's course in each semester with increasing difficulty. Half/ full day per week allocated in the time table. For special children special vocational courses. | | Physics | Physics & Maths |
| | Sem. II | Disaster Management | Health and Hygiene | | | Chemistry | Chemistry |
| 2 | Sem. III | Indian Constitution Accounts with Tally | Physical Education | | | Computer Science | Computer Sc Or Maths |
| | Sem. IV | Waste Management, Web Designing | Human values and Environment Studies | | | History | None |
| 3 | Sem. V | Indian History Vedic Studies | Analytic Ability and Digital Awareness | | Inter/ Intra Faculty related to main subject (inside campus) | BBA | None |
| | Sem. VI | Data Analysis Vedic Maths | Communication Skills and Personality Development | | -do- | | |
| 4 | Sem. VII | | | | Inter/ Intra Faculty related to main subject (outside campus) Full day per week allocated in the time table | | |
| | Sem. VIII | | | | -do- | | |
| 5 | Sem. IX | | | | Inter/ Intra Faculty related to main subject (inside/outside campus) | | |
| | Sem. X | | | | -do- | | |

**टिप्पणी:** चिन्ह # से युक्त अंश संशोधित-अंश अथवा नवीन-अंगीकृत-अंश है.